



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 08 दिसम्बर, 2016 ई0

अग्रहायण 17, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 353/XXXVI (3)/2016/51(1)/2016

देहरादून, 08 दिसम्बर, 2016


अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित “रास बिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय विधेयक, 2016” पर दिनांक 07 दिसम्बर, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 35 वर्ष, 2016 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

अधिसूचना

श्री राज्यपाल, रास विहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 35 वर्ष, 2016) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम को प्रवृत्त करने की एतद्द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर, 2016 की तारीख नियत करते हैं।


(एम्बे-समाप्तवामी)
मुख्य सचिव

संख्या:- 1289 (1) /XXIV(6)/2016-11(4)/2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-


1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, श्री राज्यपाल सचिवालय, देहरादून।
4. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्ता गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल।
6. समस्त कुलपति, उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय।
7. जिलाधिकारी, देहरादून।
8. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
9. निदेशक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. निजी सचिव-मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
11. न्यासी,डॉ. जगत नारायण सुभारती चैरिटेबिल ट्रस्ट, देहरादून, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर देहरादून।
13. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुडकी, जनपद हरिद्वार को अधिसूचना को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करने एवं इसकी 10% प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
14. गार्ड फाईल।

Attested Photo Copy

Km. URMILA BHATIA
Advocate & NOTARY, Dehradun



आज्ञा से,


(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव